



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4355/2025

बृजमोहन बेनीवाल पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द, उम्र 40 वर्ष, निवासी—इन्द्रा मार्केट, पुरानी अनाज मण्डी के पास, वार्ड नंबर—11, तहसील—चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

....प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1. दयाराम जाट पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी—महाचन्दपुरा, तहसील—चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।
(वाहन चालक कार नं. RJ-14-YC-9749)
2. रोहित नावरिया पुत्र श्री हीरालाल नावरिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी— एल.बी.एस कॉलोनी, चाकसू, वार्ड नंबर 13, पुलिस थाना—चाकसू, जिला जयपुर, राज.।
(पंजीकृत स्वामी वाहन कार नं. RJ-14-YC-9749)
3. युनिवर्सल शोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्रबन्धक कार्यालय पता— ग्राउण्ड फ्लोर बेसमेंट, 29—बी, व्हाईट स्पायर् अपार्टमेंट, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।
(बीमा कम्पनी वाहन कार नं. RJ-14-YC-9749)

....अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	: Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर महानगर—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या—08/2023, बृजमोहन बनाम दयाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2025 (जिसे



आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी बृजमोहन द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप 22,20,000 /— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 5,00,494 /— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 7,470 /— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी गैस वेल्डिंग का कार्य कर 45,000 /— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के दोनों पैरों, एक हाथ व कुल्हे की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर में कुल 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता कारित होना पाया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रतिशत आंका जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में कोई समूचित राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गयी है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।



4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई साधारण व गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत

Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap Son of Zhampannappa Lamzane & Anr. reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

“12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained “just compensation” in the following words:

15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a “just compensation”. It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the



concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 15.02.2020 की होना बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 37 वर्ष की आयु का होना बताते हुए गैस वेल्डिंग का कार्य कर 45,000/— रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 249/— रुपये, तदनुसार मासिक आय 7,470/— रुपये निर्धारित की गई है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की आय के संबंध में निकाले गये उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपीलार्थी की यही आय हम निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 37 वर्ष, 10 माह निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 37 वर्ष 10 माह की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित आय 7,470/— रुपये का 40 प्रतिशत 2,988/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 10,458/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।



8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी के दोनों पैरों, एक हाथ व कुल्हे की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-12 के अवलोकन से स्पष्ट है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य रिपोर्टेड इन (2011) 1 एससीसी 343** के मामले प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को कारित 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रतिशत आंका गया है।

9. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276**, के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

10. इस प्रकार **प्रकाश चंद शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह हो तो



वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

11. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-12 राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत होते हुए अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-12 में दर्शायी गयी 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में भी 32.60 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं।

12. वक्त घटना अपीलार्थी को गैस वेल्डिंग का कार्य करना बताया गया है, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अपीलार्थी को कारित हुई 32.60 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 32.60 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 10,458/- रुपये का 32.60 प्रतिशत 3,409.30/- रुपये, पूर्णांक में 3,410/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 37 वर्ष, 10 माह निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $3,410 \times 12 \times 15 = 6,13,800/-$ रुपये होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 20,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व



मानसिक पीड़ा की मद में हम, 33,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में हम, 33,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में 89,406/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 9,600/— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के दोनों पैर में, एक हाथ व कुल्हे की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके फलस्वरूप अपीलार्थी को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अपीलार्थी को स्वयं के इलाज हेतु अस्पताल आने-जाने में यातायात व परिवहन पर राशि वहन करनी पड़ी होगी। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 20,000/— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी कुल 16 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती रहने की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः 16 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में हम 600/— रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 9,600/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है



कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर पर कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब चार माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम, इलाजरत अवधि के दौरान हुई चार माह के आय की हानि के मद में 29,880/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	6,13,800 /-
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	33,000 /-
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	33,000 /-
4.	इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में	89,406 /-
5.	पौष्टिक आहार की मद में	20,000 /-
6.	यातायात व परिवहन पर खर्च हुई राशि के मद में	15,000 /-
7.	16 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	9,600 /-
8.	इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में	29,880 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		8,43,686 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		5,00,494 /-
बढ़ोतरी पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		3,43,192 /-

20. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **5,00,494/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **8,43,686/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

21. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

22. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।



23. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /37